न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
013/2022(रसद) (GCMS 2022/194)	29.06.2022	21.09.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये सुमन तिवारी प्रवर्तन निरीक्षक, चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. प्रवीण कुमार पिता श्यामलाल खटीक उम्र 23 वर्ष निवासी राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।
2. सुभाष चन्द्र पिता रामप्रसाद खटीक उम्र 20 वर्ष निवासी आमेट जिला राजसमंद।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी — पैरोकार सरकार
नागेन्द्र सिंह झाला — अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित **MS & HSD** ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15.03.2022 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना के अनुसार गंगरार नेशनल हाई–वे स्थित होटल नीलकंठ, जोजरों का खेडा पर पुलिस द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण एवं बिक्री की जानकारी पर वहां पेट्रोलियम पदार्थ से भरे वाहन डिटेन किए गए है। निर्देशानुसार आवेदक प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय वाहन संख्या **RJ09TA2419** से नीलकंठ होटल, गंगरार हाई–वे मौके पर पंहुची। मौके पर पुलिस थाना गंगरार का जाप्ता स.उ.नि. नगजीराम मय हेड कानि नरेन्द्र सिंह नंबर 489, कानि विजय नंबर 958 एवं कानि भीवाराम नंबर 1343 मौजूद मिले व पुलिस द्वारा आवेदक प्रवर्तन अधिकारी को तहरीर प्राप्त हुई कि होटल में ही एक दुकान जिस पर हरियाणा डीजल मोटर गैराज खुली है। जिसके अन्दर दो व्यक्ति मौजूद मिले व परिसर का मौका मुआयना करने पर दुकान के सामने मिनी ट्रक 407 नंबर **RJ09GC1505** व पास में ही एक और मिनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ट्रक 407 नंबर **RJ06GC6842** तथा एक टेंकर नंबर **RJ06GB1411** खडा मिला जिनकी जांच में पुलिस ने उसमें पेट्रोलियम पदार्थ मय होना पाया गया व दुकान पर उपस्थित दोनो व्यक्तियों से पूछताछ में उन्होंने अपना नाम प्रवीण कुमार पिता श्यामलाल खटीक निवासी 23 व सुभाष चन्द्र पिता रामप्रसाद खटीक निवासी आमेट बताया। उक्त तीनों वाहनों के बारे में पूछताछ पर दोनों व्यक्तियों ने वाहन एवं दुकान उनके मालिक पिंटू खटीक का होना बताया व उनको मालिक के कहे अनुसार वाहनों में बायोडीजल भंडारण कर आने–जाने वाले वाहनों के चालकों को क्रय करने का कार्य उनके द्वारा किया जाना बताया। मौके पर पहुंच कर आवेदक प्रवर्तन अधिकारी द्वारा पुलिस जाप्ते के साथ मिलककर वहां खडे उक्त तीनों वाहनों को बारी–बारी चेक किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार पाया गया। मिनी ट्रक टाटा 407 नंबर **RJ09GC1505** जिसकी बॉडी में एक टेंक बना होकर पीछे मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट मय नोजल सिस्टम बना हुआ पाया व उसके ढक्कन को खोलकर देखने में पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया। जिसका नाप करने पर 1400 लीटर होना पाया। मिनी ट्रक टाटा 407 नंबर **RJ06GC6842** जिसकी बॉडी में एक टेंक बना होकर पीछे मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिय मय नोजल सिस्टम बना हुआ पाया व उसके ढक्कन को खोलकर देखने में पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया। जिसका नाप करने पर 5000 लीटर होना पाया। टेंकर नंबर **RJ06GB1411** जिसके 4 खण्ड बने हुए पाये गये व सभी के ढक्कन खोलकर देखने पर खण्ड 1 व 4 खाली पाया व खण्ड 2 व 3 भरा हुआ पाया जिसका मापन करने पर दोनों में 5000–5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ कुल 10000 लीटर पदार्थ होना पाया गया। इस प्रकार उक्त तीनों वाहनों में कुल 16400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। उक्त दोनों व्यक्तियों से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण कर विक्रय करने बाबत कोई लाइनेंन्स व अनुज्ञापत्र होने का संबंध में पूछने पर उन्होंने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। वाहनों एवं वहां हरियाणा डीजल मोटर गैराज दुकान की पुलिस जाप्ते द्वारा तलाशी में भी कोई दस्तावेज नहीं पाया गया। इस प्रकार उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा प्रथम दृष्ट्या पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध कारोबार किया जाना प्रतीत होने पर उक्त हर तीनों वाहनों को मय पेट्रोलियम पदार्थ कब्जे में लिया जाकर वास्ते जांच हेतु सेम्पल निकालने के लिये उक्त हर तीनों वाहनों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ में से थोड़ा–थोड़ा पदार्थ निकाल कर एक कर हमराह लाए वुडन सेम्पल बॉक्सों में अलग–अलग तीन सेम्पल 750–750 एमएल के लिये जाकर सील्ड कर क्रमशः मार्क **A-1, A-2, A-3** दिया गया। सेम्पल मार्क **A-1 FSL** जांच हेतु भेजे जाने वास्ते पुलिस थाना गंगरार को सुपुर्द किया गया एवं सेम्पल मार्क **A-2** एवं **A-3** अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला रसद कार्यालय चित्तौड़गढ़ में जमा करवाने हेतु साथ लिये गये। प्रवीण कुमार पिता श्याम लाल खटीक निवासी राशमी एवं सुभाष चन्द्र पिता रामप्रसाद खटीक निवासी आमेट जिला राजसमंद का यह कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 2005 के विरूद्ध हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। अन्त में प्रार्थना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित तीनों वाहनों, 2 मिनी ट्रक टाटा 407 एवं 1 टेंकर मय कुल 16400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मिनी ट्रकों में लगी 2 मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट नोजल सिस्टम को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 21.09.2022 को विपक्षी की और से अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। हाजिर अधिवक्ता एनएस झाला ने किसी भी प्रकार से लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया।

इस पर पत्रावली को उभयपक्ष की सहमति से वास्ते बहस नियत किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हाजिर पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि विपक्षी का उक्त प्रकरण एवं जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ से उनका कोई लेना देना नहीं होना अवगत कराया गया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर चिंतन–मनन किया। विपक्षी द्वारा डीजल पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंस नहीं होना स्वीकार किया एवं जब्तशुदा डीजल पदार्थ को कब्जे राज लिये जाने के संबंध में विपक्षी को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में डीजल भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से अभिग्रहित 16400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मिनी ट्रकों में लगी 2 मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट नोजल सिस्टम राजसात किये जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ09GC1505** न्यायालय के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दीगर प्रकरण संख्या 129/2022 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 21.09.2022 अनवानी शांतिलाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **15,00,000/-** अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये हैं, वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ06GC6842** न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 130/2022 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 21.09.2022 अनवानी गोपाललाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **15,00,000/-** अक्षरे पन्द्रह लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है एवं वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ06GB1411** न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 131/2022 (रे.वि.) निर्णय दिनांक 21.09.2022 अनवानी रामेश्वरलाल बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में न्यायालय आदेश से वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को रूपये **25,00,000/-** अक्षरे पच्चीस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये गये है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 062/2022 दिनांक 16.03.2022 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना गंगरार में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 062/2022 दिनांक 16.03.2022 में अभिग्रहित 16400 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मिनी ट्रकों में लगी 2 मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट नोजल सिस्टम राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त अभिग्रहित बीस हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ थानाधिकारी, पुलिस थाना गंगरार से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं थानाधिकारी पुलिस थाना गंगरार को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>21.09.2022</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official